

ख. नदीगाँव

बाल अधिकार

- 1- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- 2- प्रवेश के लिये जन्म / आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं।
- 3- विद्यालय से प्रवेश लेने हेतु टी.सी. की आवश्यकता नहीं।
- 4- कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को गर्म-भाका-पापड़ों का शायम भोजन।
- 5- स्वच्छ, पेयजल और बालक-बालिका हेतु सुव्यवस्था।
- 6- शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रताड़ना।
- 7- विद्यालय में जाति वर्ग धर्म आधारित भेदभाव।
- 8- नि:शुल्क पाठक परचम एवं पुस्तकें।
- 9- बच्चों को लक्ष्मी से जोड़ना।
- 10- विविध आवश्यक सुविधाएँ।

रसोईयों के कर्तव्य

(रसोईयों को इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए)

जल जीवन मिशन

 **GPS Map Camera**

कटकरी बुजुर्ग, उत्तर प्रदेश, भारत
कटकरी बुजुर्ग 285121, भारत

Lat 26.177043°

Long 79.083802°

12/12/23 12:55 PM GMT +05:30

Google

स्वच्छ

बाल अधिकार

- 1- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय प्रवेश के लिए निवार्य शिक्षा का अधिकार।
 - 2- प्रवेश के लिये जन्म / आयु प्रमाण पत्र।
 - 3- विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु टी.बी. जांच।
- 1 से 14 वर्ष के बच्चों को रोजाना 1 से 2 घण्टा के लिए विद्यालय में प्रवेश देना।
विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु टी.बी. जांच।
विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु टी.बी. जांच।
विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु टी.बी. जांच।

रसोईयों के कर्तव्य

घर स्वच्छ रखें।
सूखी कचरे को समुचित ढंग से सफाई करें।

जल जीवन मिशन

स्कूलों में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

जल जीवन मिशन।
स्वच्छता अभियान।

बाल अधिकार

- 1- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
- 2- प्रवेश के लिये जन्म / आयु प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं।
- 3- विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु टी.सी. की बाध्यता नहीं।
- 4- कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चों को गर्म-पका-पकाया भोजन।
- 5- स्वच्छ, पेयजल और बालक-बालिका हेतु पृथक सुविधाएँ।
- 6- शारीरिक दण्ड एवं मानसिक प्रत्याघात।
- 7- विद्यालय में जाति, वर्ग, धर्म अंधविश्वास का अभाव।
- 8- निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें एवं सहायक सामग्री।
- 9- बच्चों को कक्षा में से अलग करने की प्रवृत्ति का अभाव।
- 10- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सुविधाएँ।

रसोईयों के कर्तव्य

हर लक्ष्य के लिये हमें एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना है।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाएँ।

बाल जीवन मिशन

रसोई घर

